

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-10010/ 2830

दिनांक: 20-8-2021

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
अम्बाला ।

विषय: Diversion of 0.07259 ha. (instead of 0.1473 ha.) of forest land for laying of OFC by M/s Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. along Jagadhri-Ambala road km. 48-50 L/S (Opposite Anaj Mandi Gate to Manav Chowk L/S, Manav Chowk to Udam Nagar (Ambala Baroula road R/S), Parrys Hotel to Cencil Convent Road R/S, Loomba Hospital to Aadharsh Scientific Shop R/S and Shri Ganesh Store to Civil Hospital Gate R/S, under forest division and District Ambala, Haryana.

Online Proposal No.FP/HR/OFC/125235/2021

संदर्भ: आपका ऑनलाईन प्रस्ताव दिनांक 13-8-2021 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयांकित उद्देश्य हेतु 0.07259 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी ।
2. इस केस में कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा ।
3. प्रयोक्ता एजेंन्सी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण तथा पौधारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी ।
4. यह ओ0एफ0सी0 वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ बिछाई जाएगी और खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा पुनः स्थापित की जाएगी ।
5. प्रयोक्ता एजेंन्सी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगी ।
6. प्रयोक्ता एजेंन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।
7. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
8. यह कार्य इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना होगा ।
9. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव की अनुमति पर निर्भर करती है जैसा कि इस प्रस्ताव पर लागू है ।
10. खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
11. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी ।
12. इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द किया जा सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं0 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला ।
3. M/s Jio Digital Fibre Pvt. Ltd., Mohali.